



2026:AHC: 175287

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 1101 वर्ष 2026

मास्टर ईशर कालरा अवयस्क और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: दीक्षा गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 73

माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन

आदेश दिनांक 05.08.2026 के माध्यम से, राज्य और प्रत्यर्थी संख्या 4, श्रीमती सिमरन कौर को बंदी (कार्पस), मास्टर ईशर कालरा को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में, बंदी (कार्पस), मास्टर ईशर कालरा को उसकी माता, सिमरन कौर द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय ने बंदी (कार्पस), मास्टर ईशर कालरा से बातचीत की, जिसने खुलासा किया कि उसकी आयु लगभग छह वर्ष है और वह जी.डी. गोयनका पब्लिक स्कूल, लखनऊ में कक्षा एक में पढ़ रहा है। उसने आगे खुलासा किया कि वह अपनी माता की संगति में सहज है और अपने पिता के साथ रहने या बातचीत करने का इच्छुक नहीं है। बंदी (कार्पस) न्यायालय में भी उपस्थित था और, उसके हाव-भाव और आचरण से, यह स्पष्ट था कि वह अपनी माता के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन साझा करता है और उनकी संगति में बहुत सहज है। उसने अपने पिता के आचरण के संबंध में कुछ अभिकथन किए हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इस न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 4, सिमरन कौर से भी बातचीत किया, जिसने कहा कि याचिकाकर्ता, प्रिंस कालरा के साथ उसका विवाह तलाक में समाप्त हो गया है, जो प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संत कबीर नगर द्वारा आदेश दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से प्रदान किया गया था। हालांकि, उसने तर्क दिया कि उक्त आदेश में बच्चे की अभिरक्षा के संबंध में कोई निर्देश शामिल नहीं है। उसने आगे तर्क दिया कि बंदी (कार्पस) का पालन-पोषण उसके द्वारा किया गया है और, उसकी माता होने के नाते, वह उसकी विधिक अभिरक्षा की हकदार है। उसने कहा कि वह एक योग्य कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, लखनऊ में काम कर रही है और लगभग 70,000/- रुपये प्रति माह कमा रही है। उसने आगे तर्क दिया कि उसका पुनर्विवाह करने का कोई इरादा नहीं है और वह बंदी (कार्पस) की देखभाल, पालन-पोषण और एक अच्छे स्कूल में शिक्षा के लिए खुद को समर्पित करना चाहती है।

इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता, प्रिंस कालरा से भी बातचीत किया, जिसने खुलासा किया कि वह एक निजी कंपनी में कार्यरत है और लगभग 11 लाख रुपये प्रति वर्ष कमाता है। उसने तर्क दिया कि, बंदी (कार्पस) का पिता होने के नाते, वह उसकी अभिरक्षा का हकदार है। उसने आगे तर्क दिया कि उसने बंदी (कार्पस) को अकाल अकादमी, बडू साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में एक बोर्डिंग छात्र के रूप में प्रवेश दिलाया था, लेकिन प्रत्यर्थी, सिमरन कौर, उसे सूचित किए बिना बंदी (कार्पस) को उक्त स्कूल से ले गई। उसने तर्क दिया कि उसने बंदी (कार्पस) को देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक में प्रवेश दिलाया था और वह उसे उचित देखभाल, शिक्षा और सुविधाएं प्रदान करने में आर्थिक रूप से सक्षम है। उसने आगे तर्क दिया कि, पिता होने के नाते, वह समान रूप से बंदी (कार्पस) के कल्याण और समग्र विकास के प्रति चिंतित है और, इसलिए, उसकी अभिरक्षा उसे सौंपी जाए।

पक्षकारों के साथ बातचीत और न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता, प्रिंस कालरा और प्रत्यर्थी संख्या 4, सिमरन कौर के बीच विवाह प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संत कबीर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से प्रदान की गई तलाक की डिक्री द्वारा भंग कर दिया गया है। हालांकि, उक्त आदेश में अवयस्क बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा के संबंध में कोई विशिष्ट निर्देश प्रतीत नहीं होता है। अलग रह रहे दोनों जीवनसाथी शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम हैं और इसलिए, बंदी (कार्पस) की देखभाल करने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में सक्षम हैं। हालांकि, वर्तमान में, बंदी (कार्पस) का अपनी माता के साथ एक मजबूत भावनात्मक बंधन है और वह उनकी संगति में सहज है।

पूर्वोक्त परिस्थितियों में, यह न्यायालय बंदी (कार्पस) की वर्तमान अभिरक्षा में व्यवधान डालना उचित नहीं समझता है, क्योंकि इस प्रक्रम पर उसकी अभिरक्षा में कोई भी अचानक परिवर्तन उसकी भावनात्मक भलाई और समग्र विकास के लिए अनुकूल नहीं हो सकता है। बंदी (कार्पस) की आयु केवल लगभग छह वर्ष है। न्यायालय के साथ अपनी बातचीत के दौरान, वह अपनी आयु के हिसाब से बुद्धिमान, परिपक्व और मुखर प्रतीत हुआ और उसने अपनी माता के साथ रहने की अपनी भावनाओं और प्राथमिकता को स्वतंत्र रूप से व्यक्त किया। उसकी प्राथमिकता उसके वर्तमान भावनात्मक लगाव की एक सचेत अभिव्यक्ति प्रतीत होती है और वाद की परिस्थितियों में, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है।

इस न्यायालय के सुविचारित मत में, प्रत्यर्थी संख्या 4, एक शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम महिला होने के नाते, वर्तमान में बंदी (कार्पस) की उचित देखभाल करने और उसे उसकी शिक्षा, पालन-पोषण और समग्र विकास के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में सक्षम है। तदनुसार, यह न्यायालय बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा याचिकाकर्ता, प्रिंस कालरा को सौंपने के लिए इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता, बंदी (कार्पस) का पिता होने के नाते, अपने पुत्र के साथ भावनात्मक बंधन बनाए रखने और विकसित करने का हकदार है। इसलिए, उसे मुलाकात और बातचीत के उचित अधिकार प्रदान करने की आवश्यकता है।

तदनुसार, याचिकाकर्ता, प्रिंस कालरा को जब भी वह चाहे, प्रत्यर्थी संख्या 4, श्रीमती सिमरन कौर के निवास पर बंदी (कार्पस) से मिलने का अधिकार होगा, जो वर्तमान में लखनऊ में रह रही है। याचिकाकर्ता मोबाइल फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिदिन शाम 6:00 बजे से रात 9:00 बजे के बीच बंदी (कार्पस) के साथ बातचीत करने का भी हकदार होगा।

याचिकाकर्ता को स्कूल के मध्यावकाश और छुट्टियों/अवकाश के दौरान बंदी (कार्पस) की अस्थायी अभिरक्षा रखने का भी अधिकार होगा। याचिकाकर्ता वचन देता है कि वह ऐसे मध्यावकाश, छुट्टी या अवकाश की समाप्ति से पूर्व प्रत्यर्थी संख्या 4, सिमरन कौर को बंदी (कार्पस) की अभिरक्षा वापस कर देगा। प्रत्यर्थी संख्या 4 याचिकाकर्ता की बंदी (कार्पस) के साथ मुलाकात या बातचीत

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में कोई बाधा या रुकावट पैदा नहीं करेगी और याचिकाकर्ता और बंदी (कार्पस) के बीच भावनात्मक बंधन बनाए रखने में सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगी।

पूर्वोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के अधीन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका *निस्तारित* की जाती है।

(न्यायमूर्ति संदीप जैन)

19 अगस्त, 2026

मयंक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”